

दिनांक: 20.02.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला पक्षकारों की हाजिरी है। प्रस्तुत आवेदन वादी की तरफ से व्यवहार प्रक्रिया संहिता के 39 नियम 1 और 2 पर आदेश हेतु निर्धारित है।

प्रस्तुत मामले में वादी ने अपने आवेदन में प्रतिवादी सं0 1 ता0 4 को विवादित जमीन से किसी भी तरफ का वसीका लिखने से रोकने की प्रार्थना की गयी है।

प्रतिवादी की तरफ से अपने प्रतिउत्तर नहीं प्रस्तुत किया गया।

उपस्थित पक्षों को सुना। मामले का अनुशीलन किया। मामले के अनुशीलन के पश्चात न्यायालय व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 39 नियम 1 के अनुसार वे दशाएं जिनमें अस्थायी ब्यादेश दिया जा सकेगा जहां किसी वाद में शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह साबित कर दिया जाता है कि (क) वाद में विवादग्रस्त किसी संपत्ति के बारे में यह खतरा है कि वाद का कोई भी पक्षकार उसका दुर्व्ययन करेगा उसे नुकसान पहुंचाएगा या अन्य संक्रांत करेगा, या डिकी के निष्पादन में उसका सदोष विक्रय कर दिया जाएगा, अथवा (ख) प्रतिवादी अपने लेनेदारों को कपट वंचित करने की दृष्टि से अपनी सम्पत्ति को हटाने या व्ययनित करने की धमकी देता है आशय रखता है, (ग) प्रतिवादी को वाद में विवादग्रस्त किसी सम्पत्ति से बेकब्जा करने की या वाद को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यथा क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, वहां न्यायालय ऐसे कार्य को अवरुद्ध करने के लिए आदेश द्वारा अस्थायी ब्यादेश दे सकेगा या सम्पत्ति को दुर्व्ययित किए जाने, नुकसान पहुंचाए जाने, अन्य संक्रान्त किए जाने, विक्रय किए जाने, हटाए जाने या व्ययनित किए जाने से अथवा वादी को वाद में विवादग्रस्त सम्पत्ति से बेकब्जा करने या वादी को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में अन्यथा क्षति पहुंचाने से रोकने और निवारित करने के प्रयोजन से ऐसे अन्य आदेश जो न्यायालय ठीक समझे, तब तक के लिए कर सकेगा जब तक उस वाद को निपटारा न हो जाए या जब तक अतिरिक्त आदेश न दे दिए जाए।

प्रस्तुत मामले में उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात तथा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मामले में वादी ने अस्थायी ब्यादेश का आवेदन प्रचालित न करने का निर्णय किया है तदनुसार उपर्युक्त समस्त तथ्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मामले में अस्थायी ब्यादेश के संबंध में अभिलेख पर पर्याप्त तथ्य नहीं है अतः आवेदन प्रचालित न करने के कारण वादी का आवेदन अंतर्गत धारा 39 नियम 1, 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 151 अस्वीकृत किया जाता है। एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक ..... वास्ते वादी अग्रिम कार्रवाई।

अवर न्यायाधीश  
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।